न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए/69/2018**

**उनवान**

1. देबी लाल आत्मज बद्री जाट निवासी ककरोलिया घाटी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. उदयलाल आत्मज देबी लाल जाट निवासी ककरोलिया घाटी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. रामकुवार आत्मज देबी लाल जाट आयु अवयस्क जरिये संरक्षक पिता देबी लाल आत्मज बद्री निवासी ककरोलिया घाटी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. केसर पुत्री छीतर पत्नी नंदा जजाट निवासी खजीना हाल निवासी लखमणियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. नारायण पुत्र (लाडू पुत्री छीतर निवासी खजीना) पिता तुलछा जाट निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. गंगाराम पुत्र (मोडी पुत्री छीतर निवासी खजीना) पिता लालू जाट निवासी कालसास तहसील व जिला भीलवाडा
4. देबी लाल पुत्र (मोडी पुत्री छीतर निवासी खजीना) पिता लालू जाट निवासी कालसास तहसील व जिला भीलवाडा
5. पानी देवी पत्नी मांगीलाल जाट निवासी खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. रामेश्वर आत्मज मांगीलाल जाट निवासी खजीना
7. भैरू आत्मज मांगी लाल जाट निवासी खजीना
8. शंकर आत्मज मांगी लाल जाट निवासी खजीना
9. कंकू पत्नी भैरू निवासी डसानिया का खेडा, सवाईपुर तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. प्रेम पत्नी रामेश्वर जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी
11. सायर पत्नी बरमा जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
12. नानी पत्नी शंकर जाट निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
13. कल्याण आत्मज नन्दा जाट निवासी खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण
संख्या 15/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.2.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री श्यामलाल गुर्जर ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 से 4
3. श्री गोपाल सारस्वत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी 5 से 13
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

दिनांक 30.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में अंकित खाता संख्या 11 में उल्लेखित आराजी खसरा नम्बर 1568 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1809 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1813 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2096 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, किता 4 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा व खाता संख्या 258 में अंकित खसरा नम्बर 1570 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2099 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, किता 2 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा एवं खाता नम्बर 257 में अंकित आराजी नम्बर 1569 रकबा 2 बीघा , खसरा नम्बर 1810 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1811 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, एवं आराजी नम्बर 2136/2097 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा तथा खाता नम्बर 125 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 1742, 1743, 1744, 1745, 1746 किता 5 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 1547 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा स्थित है एवं ग्राम आकोला के खाता नम्बर 555 में अंकित आराजी नम्बर 829 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, व खसरा नम्बर 830 रकबा 1 बीघा, किता 2 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा, जमाबंदीह संवत 2070 से 2073 के खाता नम्बर263 में अंकित आराजी नम्बर 831 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 833 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, किता 2 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा जो वादीगण के पूर्वजों के जीवनकाल की होकर पुश्तैनी आराजियात है। वादीगण का सजरा इस प्रकार है :–

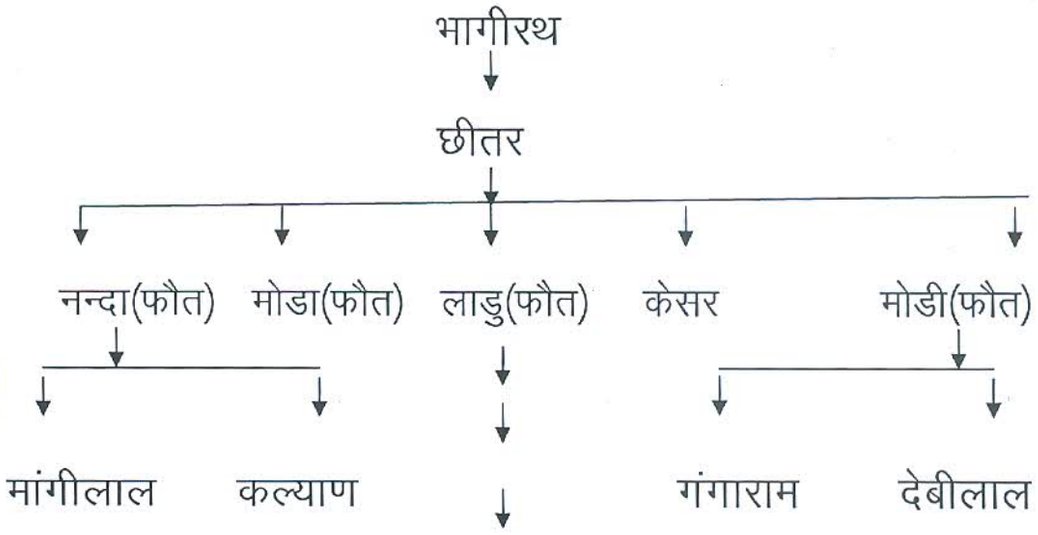


वादीगण के उक्त पारिवारिक सजरे के अनुसार वादग्रस्त आराजी छीतर पिता भागीरथ के जीवनकाल से चली आ रही है। जिसमें वादिया केसर छीतरकी पुत्री है तथा वादी संख्या 2 छीतर की पुत्री लाडु का पुत्र होकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दोहता है, इसी प्रकार वादी संख्या 3 व 4 छीतर की पुत्री मोडी के पुत्र होकर स्व0 छीतर के दोहिते हैं। जो स्वर्गीय छीतर की जायदाद कृषि भूमि में छीतर की सभी संतानों का समान हक हिस्सा निहित होकर 1/5 हिस्सा वादिया का व 1/5 हिस्सा वादी संख्या 2 का , 1/5 हिस्सा वादी संख्या 3 व 4 का एवं 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का एवं शेष 1/5 हिस्सा मृतक मोडा का है। स्वर्गीय मोडा जी ने अपने हक हिस्से की जमीन अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी सख्या 3 से 5 को बेचान कर दी । वादग्रस्त आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/5, 1/5, हिस्सा बनता है और इसी हिस्से के मुताबिक काबिज है किन्तु दिनांक 12.12.2014 को प्रतिवादीगण ने बेदखल करने की धमकी दी तब से बिनाय वाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः दावा वादीगण स्वीकार कर उक्त हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित कराते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द कराया जावे कि वे वादीगण के हक हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि में हस्तक्षेप न करें व न किसी अन्य से करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.2.2018 से वादीगण का वाद एकतरफा डिक्री किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर एकपक्षीय तौर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर पत्रावली पर उपलब्ध परस्थितियों के प्रतिकूल होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रतिवादीगण को तामील जारी होने के बाद दिनांक 9.6.2015 को प्रथम पेशी राजस्व लोक अदालत केम्प लसाडिया हेतु नियत की गई । प्रतिवादी संख्या 3 से 5 अपीलार्थीगण के अलावा अन्य पक्षकारान के उपस्थित होने से उनकी उपस्थिति दर्ज की गई एवं अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही काक आदेश पारित किया गया । उक्त पेशी पर उपस्थित वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पहचान वादीगण के अधिवक्ता ने दर्ज करवाई तथा आगामी पेशी दिनांक 23.6.2015 साक्ष्य वादी में नियत की गई । दिनांक 23.6.2015 को केम्प आकोला में पत्रावली नहीं आने से पत्रावली आगामी तारीख पेशी 15.7.2015 को पत्रावली में सुनवाई की गई इस तारीख को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 9.6.2015 को अपास्त किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 27.8.2015 को पेश करने हेतु नियत की गई। दिनांक 27.8.2015 को वादी एवं वादी के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से दावा वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया ।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि इसी दौरान जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश से पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के यहॉ अन्तरित कर दी गई। इस पर पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के यहॉ पर पत्रावली दिनांक 28.9.2015 तक रही उसके बाद पुनः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशानुसार पुनः पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के यहॉ भिजवा दी गई। इस प्रकार अदम हाजरी व अदम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पैरवी में खरिज पत्रावली का पुनः अन्तरण माण्डलगढ व माण्डलगढ से कोटडी के उपखण्ड अधिकारी जी के न्यायालय को भिजवा दी गई। दौराने विचारण माण्डलगढ दिनांक 21.9.2015 को वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्ग आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया। और आगामी पेशी दिनांक 28.9.2015 नियत की गई । दिनांक 28.9.2015 को पेशी पर प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की कओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं प्रकरण को पुनः उपखण्ड अधिकारी कोटडी के न्यायालय में भिजवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के न्यायालय में प्रकरण पुनः दिनांक 20.1.2016 को संस्थित किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 16.3.2016 को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी हेतु नियत की गई। जबकि दिनांक 16.3.2016 से पूर्व प्रकरण में जल्दी सुनवाई हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पत्रावली दिनांक 8.2.2016 को पत्रावली सिगह से प्रस्तुत होने पर पीठासीन अधिकारी महोदय ने तारीख पेशी दिनांक 16.3.2016 नियत कर दी । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को आगामी पेशी दिनांक 16.3.2016 की ही जानकारी थी। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.2.2016 को पेशी नियत कर दी। जिसकी जानकारी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को नहीं दी गई। दिनांक 29.2.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.3.2016 नियत कर दी गई जिसकी भी जानकारी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को नहीं दी गई। चूंकि अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 को तो तारीख पेशी दिनांक 16.3.2016 की ही जानकारी थी ऐसी स्थिति में दिनांक 12.3.2016 को देवयोग से हाजिर आने पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी में जवाब हेतु अवसर चाहा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया । जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.4.2016 नियत की गई। उक्त तारीख पेशी पर पीठासीन अधिकारी महोदय के न्यायालय में नहीं बिराजने से दिनांक 30.9.2016 पेशी नियत की गई। दिनांक 28.4.2016 को रीडर द्वारा आगामी पेशी दिनांक 30.9.2016 मोहर लगाकर नियत की गई। बाद में उस मोहर को काट कर उसके बाद मनमकसूद तरीके से प्रकरण में पेशियॉ बदल दी गई।

7. दिनांक 10.5.2016 को राजस्व केम्प ग्राम आकोला में पेशी नियत रही उस समय पेशी को पक्षकार वादीगण एवं उनके अधिवक्ता तथा प्रतिवादी देबी लाल व उसके अधिवक्ता उपस्थित हुए जिसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर निशानियॉ फर्द अहकाम पर की गई उसकी फर्द अहकाम भी बिना कोई ऑर्डरशीट ड्रॉ किये पत्रावली मे संलग्न कर दी गई। प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 30.9.2016 को प्रतिवादी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तो जानकारी हुई कि पीठासीन अधिकारी महोदय के नहीं बैठने से आगामी पेशी दिनांक 28.10.2016 नियत की गई है। लेकिन उसके बाद अधिक्ता प्रतिवादी को कोई पेशी नही दी गई। दिनांक 28.10.2016 को पेशी नहीं दिये जाने के बावजूद दिनांक 2.11.2017 को प्रकरण मे पेशी नियत कर उसी दिन वादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वाद को पुनः रेस्टोर कर लिया गया । जबकि प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी के जवाब में नियत था। इस स्टेज पर बिना प्रतिवादी के जवाब बन्द किये अथवा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये आदेश 9 नियम 9 के प्रार्थना पत्र पर बहस समायत की गई व प्रकरण रीस्टोर फरमाया गया । इस प्रकार प्रतिवादी/अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियम 9 जाब्ता दीवानी पर सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही कर आदेश पारित कर दिया गया ।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 2.11.2017 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.11.2017 वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। इस प्रकार दिनांक 15.11.2017 की ऑर्डरशीट के अनुसार प्रकरण में जवाब दावा हेतु पेशी दिया जाना चाहिये था। जब दावा वादी कानूनन नम्बर पर आया तो प्रकरण में प्रतिवादीगण को भी जवाब दावा दिये जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया गया था तो प्रतिवादीगण को कानूनन सूचना दिया जाना आवश्यक था। लेकिन प्रतिवादीगण को कोई सूचना के लिए कोई सम्मन नोटिस जारी नहीं किया गया । दिनांक 30.9.2016 के बाद जो भी कार्यवाहियॉ प्रकरण में की गई वे बिना दिनांक, वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, संशोधित अनवान, शपथ पत्र भी बिना दिनांक एवं बिना प्रजेण्टेशन के प्रस्तुत किये ये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इकबालिया जवाब दावे एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5/अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में वादीगण की एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं । इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर पारित की गई है। अत : अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाब दावा, सुनवाई एवं साक्ष्य, बहस का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये थे। उसके बावजूद उनके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण का यह कथन कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी की जानकारी नहीं दी गई ऐसी स्थिति में दिनांक 28.9.2015 को अधिवक्ता गोविन्द पुरोहित अधीनस्थ न्यायालय में कैसे उपस्थित हुए थे।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यदि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट थे तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत करना चाहिये था। जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलार्थी प्रकरण को लिंगर ऑन, करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीगण का निवेदन है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तारीख पेशी मे कांट–छांट कर तारीख पेशी नियत कर दी गई जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। अपीलाधीन निर्णय भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पारित नहीं किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया । मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का बाद उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत के आधार पर अंतिम तौर पर निस्तारण होता है। अपीलाधीन मामले में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5/ अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बहस सुनी गई जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया गया उस समय भी अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने जवाब दावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.4.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.9.2016 नियत किया जाना अंकित किया है उसके बाद उक्त आदेशिका में उक्त आदेशिका को काट दिया गया है। उसके आगामी फर्द अहकाम पर उभयपक्ष की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये हैं जिसमें अधिवक्ता वादीगण ने दिनांक 10.5.2016 अंकित की है एवं उपस्थित पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये हैं । उक्त फर्द अहकाम बिल्कुल खाली ही संलग्न है इसमें कोई आदेश अंकित नहीं किया गया है। उसके बाद की आगामी आदेशिका किस तारीख को लिखी गई है उसका तक अंकन नहीं है एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.7.2016 नियत कर दी गई है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 दिनांक 2.11.2017 को एकतरफा बहस सुनकर स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीगण की उपस्थिति बाबत कोई अंकन फर्द अहकाम दिनांक 2.11.2017 में नहीं किया गया है।

13. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.2.2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने की आदेशिका लिखी गई एवं निर्णय व डिक्री अलग से लिखा जाकर पत्रावली में सलग्न किये जाने का अंकन किया गया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। उसके बाद दिनांक 9.2.2018 को पुनः आदेशिका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में लिखी गई । जिसे पुनः काट दी गई है व पुनः लिखी जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री की पालना स्थगित रख सुनाई हेतु पुनः दिनांक 23.2.2018 नियत की गई।

14. चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का उभयपक्ष द्वारा साक्ष्य, सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है । अपीलाधीन मामले में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त की अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जिसकी पुष्टि फर्द अहकाम के अवलोकन से ही स्वतः स्पष्ट है। जिसका समर्थन नही किया जा सकता है।

15. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.02.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, रेकार्ड एवं पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.10.2018 को उपस्थित रहें।

16. निर्णय आज दिनांक 30.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

30/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा